तीर्थयात्रियों के प्रबंधन हेतु केंद्र की सहायता

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार ने **राज्य में बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के प्रबंधन के लिये** नीति आयोग के माध्यम से **केंद्र से सहायता की मांग** करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- तीर्थयात्रा पर्यटन के लिये प्रसिद्ध **उत्तराखंड** राज्य अपनी **अस्थायी जनसंख्या** (मूलतः पर्यटक और तीर्थयात्री) **में** प्रतिवर्ष **आठ गुना वृद्धि** के कारण बड़ी समस्या का सामना कर रहा है
- उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय बजट में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के मानदंडों में वनाग्नि और **हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की क्षति** से होने वाले नुकसान के लिये मुआवज़े को शामिल करने का अनुरोध किया था
  - देश के 147 सबसे अधिक भूस्खलन सुभेद्य ज़िलों में से एक होने के बावजूद राज्य को **ग्रीन बोनस अथवा अस्थायी जनसंख्या** के प्रबंधन के लिये कोई सहायता प्रदान नहीं की गई
  - राज्य को रुद्रप्रयाग और टिहरी जैसे ज़िलों में हिमनद अथवा भूस्खलन अनुसंधान केंद्रों **की स्थापना** जैसी सुविधाएँ प्रदान किये जाने की उम्मीद थी किंतु बजट में इन **मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया।**

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की **धारा 48 (1)(a)** के तहत किया गया है।
- इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- यह **राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि** होती है, जिसका उपयोग प्रायः अधिसूचित आपदाओं हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा इसका अंकेक्षण किया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/central-assistance-to-manage-pilgrims